

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी

प्रेस-विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक-3606/एसएलएसए-99/2019 (हैदर), दिनांक-21.11.2022 के अनुपालन में जनपद बाराबंकी में आपराधिक मामलों में वंचितों तथा कम-गोर वर्ग की प्रतिरक्षा हेतु लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में डिप्टी/असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिस हेतु पूर्व में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश सं0-431/2025 (प्रशासनिक) के अनुक्रम में चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति की बैठक में दिनांक-16.12.2025 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद पर साक्षात्कार दिनांक-17.12.2025 को प्रातः 10:00 बजे से एवं असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पदों पर साक्षात्कार दिनांक-17.12.2025 को दोपहर 01:30 बजे से सिविल कोर्ट, परिसर में स्थित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में लिया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नालसा द्वारा निर्गत मोडिफाईड लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल स्कीम-2022 में दिये गये निर्देशों के अनुसार असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल 0 से 3 वर्ष तक वकालत करने वाले अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार लिया जायेगा।

1. डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल
दिनांक-17.12.2025 (समय प्रातः 10:00 बजे से)
 2. असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल
दिनांक-17.12.2025 (समय दोपहर 01:30 बजे से)
- तदनुसार अभ्यर्थीगण सूचित हो।

दिनांक-16.12.2025

(श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह)

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी

प्रतिलिपि:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
3. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. सूचना अधिकारी, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित की जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. कलेक्ट्रेट, बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. केन्द्रीय नाजिर नजारत अनुभाग को जिला न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

h
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।